

02.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे आवश्यक कार्यवाही नहीं कि जा रही है पत्रावली लगातार 15.04.2024 से तलबी स्तर पर चली आ रही है। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो रहे। वास्ते वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नहीं आए। वादी व अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

02/12/24
सहायक क्लर्क
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

